



षोडश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-06

मंगलवार, दिनांक- 16 अगस्त, 2016 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.50 बजे अप० तक

[1] अध्यक्ष द्वारा प्रारम्भिक सम्बोधन :-

यथा संलग्न ।

[2] अनुमत विधेयकों के विवरण का सभा पटल पर रखा जाना :-

सभा सचिव द्वारा बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित तथा सत्रोपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों का निम्न विवरण सभा पटल पर रखा गया :-

क्रमांक	विधेयकों का नाम	अनुमति की तिथि
(i)	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2016	10.08.2016
(ii)	बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016	10.08.2016
(iii)	बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रहे गये हैं) विधेयक, 2016	11.08.2016
(iv)	बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016	11.08.2016
(v)	बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016	11.08.2016

[3] संकल्प :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

श्री प्रेम कुमार, माननीय नेता विरोधी दल, श्री सदानंद सिंह, स०वि०स० एवं श्री महबूब आलम, स०वि०स० द्वारा भी पक्ष रखा गया ।

“माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित इस सविधान संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधानों एवं बिहार के लिए इसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही भविष्य में इसके क्रियान्वयन के क्रम में बिहार जैसे प्रदेश के हित के दृष्टिकोण से संभावित आशंकाओं एवं चिंताओं से भी सदन को अवगत कराया।”

तदोपरान्त विधेयक सर्वसम्मति से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[4] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

“बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री महेश्वर हजारी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव दिया गया एवं पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य श्री नितिन नवीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव दिया गया एवं पक्ष रखा गया।

प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री महेश्वर हजारी द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्य श्री नंदकिशोर यादव एवं श्री प्रेम कुमार, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा स्वीकृति के प्रस्ताव पर पक्ष रखा गया।

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री महेश्वर हजारी द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[5] अध्यक्ष का समापन भाषण :-

यथा संलग्न।

[6] शोक प्रकाश :-

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्व० अनवारूल हक, पूर्व सदस्य, लोक सभा एवं बिहार विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की।

तदोपरान्त सभी माननीय सदस्यों ने एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि मेरे एवं संपूर्ण सदन की ओर से शोक संवेदना शोक संतप्त परिवार के पास भेज दिये जाएँगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुई।

पटना

दिनांक-16.08.2016

राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।